3290

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक : सदर द्वितीय गोरखपुर क्रम संख्या 2019161006828

आवेदन संख्या : 201900950009052

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2019-03-14 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम विनय कुमार तिवारी

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0 / 85881000

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20000

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 200

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 20200

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2019-03-14 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2019-03-14 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

3290/19

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP05792295011674R
Certificate Issued Date	:	13-Mar-2019 03:31 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01069103763681 69R
Purchased by	:	M S NAVEL DEVELOPERS
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	LAND SITUATED AT MIRZAPUR HATA BETIA GORAKHPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	TRIYUGINARAIN TRIPATHI AND OTHER
Second Party	:	M S NAVEL DEVELOPERS
Stamp Duty Paid By	:	M S NAVEL DEVELOPERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	60,00,000 (Sixty Lakh only)

Please write or type below this line

Verified By ....
Locked By ....

SADAR-SECOND, GKP

UP 0005572599

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

A.T.O./T.O./C.T.O.

12 MAR 2019

स्टाम्प

नम्बर 0032

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR I ... 565

बिल्डर्स एग्रीमेन्ट

- मौजा– मिर्जापुर हाता बेतिया (बेतियाहाता)
- भाग– 2,
- प्रारुप– 3

S.O.V [illegible] 132 [illegible]

[illegible]

13/8/19

हनुमान प्रसाद स्टाम्प विक्रेता
लाइ०नं०
दीवानी कचहरी, गोरखपुर

Anju Pandey
9415318229

Rajni Dwivedi
9999966749

[illegible]
9651844189

9452190066

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

A.T.O./T.O./C.T.O.

12 MAR 2019

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR [illegible] 5566

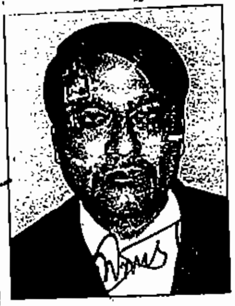
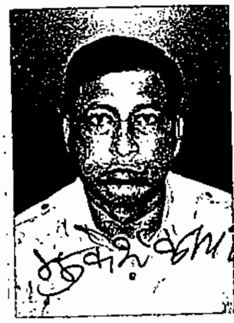

- क्रम संख्या –06
- वी कोड 0046
- नियत दर रुपया $9000/— प्रति वर्ग मीटर

हनुमान प्रसाद स्टाम्प विक्रेता

लाo नo 30

दीवानी कचहरी, गोरखपुर

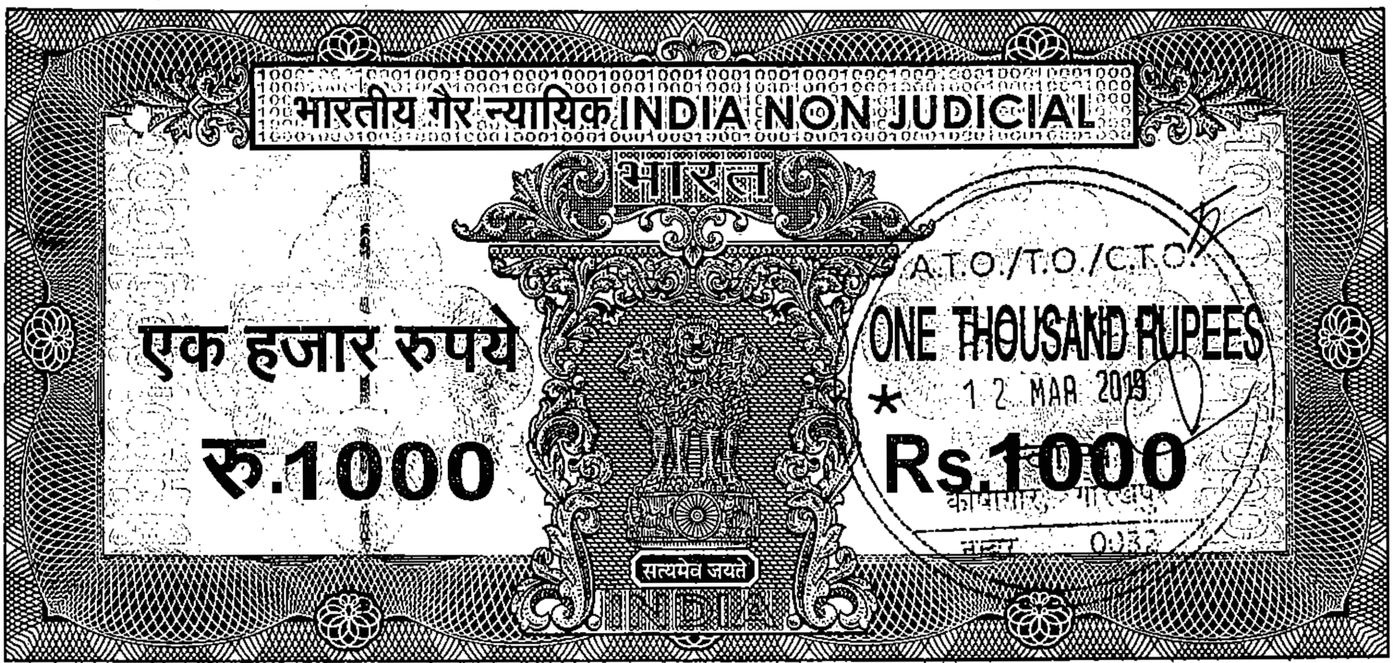

उत्तर प्रदेश UTTAR P

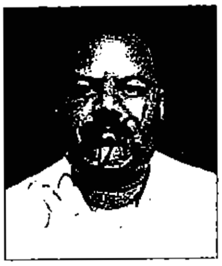

- सामान्य निर्देश संख्या 31 (1) के अनुसार नियत दर रू0 39000/– प्रति वर्गमीटर

प्र० [illegible] 132 [illegible]

[illegible]

5

14/3/19

प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री, कचहरी, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 423445

- सामान्य निर्देश संख्या 31 (2) के अनुसार नियत दर रू0 33150/– प्रति वर्गमीटर
- सामान्य निर्देश संया 31 (3) के अनुसार नियत दर रू0 31200/– प्रति वर्गमीटर
- सामान्य निर्देश संया 31 (4) के अनुसार नियत दर रू0 27300/– प्रति वर्गमीटर

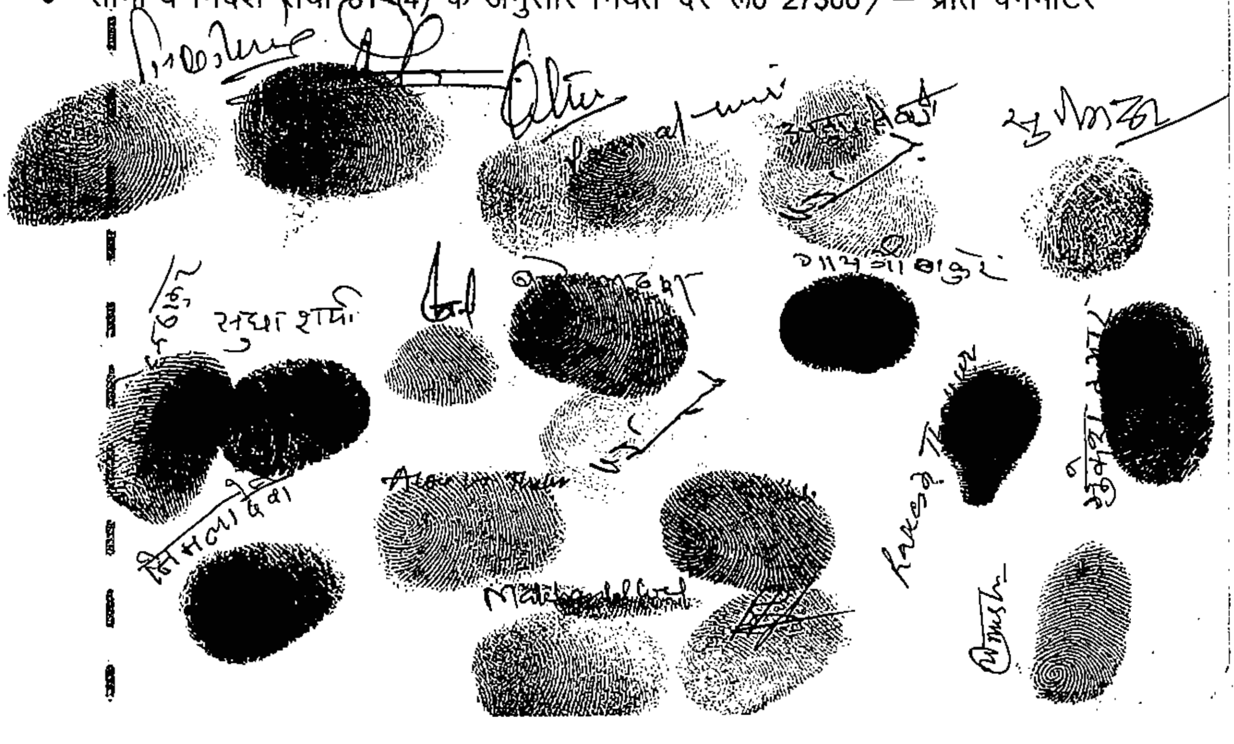

प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता, कलेक्ट्री, कचहरी, गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AD 420903

- सामान्य निर्देश संख्या 31 (1) 0 से 500 वर्गमीटर तक के लिए प्रभावी
- सामान्य निर्देश संख्या 31(2) 500 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर हेतु प्रभावी
- सामान्य निर्देश संख्या 31 (3) 1000 वर्गमीटर से 2000 वर्ग मीटर हेतु प्रभावी
- सामान्य निर्देश संख्या 31 (4) 1000 वर्गमीटर से अधिक अवशेष हेतु प्रभावी
- कुल क्षेत्रफल 2674.208 वर्गमीटर
- प्रश्नगत सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्नवत है:–

  1– 500 वर्ग मीटर x रुपया 39000/– = रुपया 1,95,00,000/–

  2– 500 वर्ग मीटर x रुपया 33150/– = रुपया 1,65,75,000/–

  3– 1000 वर्ग मीटर x रुपया 31200/– = रुपया 3,12,00,000/–

  4– अवशेष क्षेत्रफल 674.208 वर्गमाटर x रुपया 27300/– = रुपया 1,84,06,000/–

0.358 / 1 / 14/03/2015 [illegible] 4/3/6 [illegible]

[illegible] 264 [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420902

कुल मूल्यांकन– रुपया 8,58,81,000/–
कुल स्टैम्प शुल्क –रुपया 60,12,000/–
ई–स्टैम्प शुल्क– रुपया 60,00,000/–
जनरल स्टैम्प शुक्ल– रुपया 12,000/–

हम कि **त्रियुगी नरायन त्रिपाठी** व **महेन्द्र कुमार तिवारी** व **विनोद कुमार तिवारी** व **प्रमोद कुमार तिवारी** व **अनूप कुमार तिवारी** व **विनय कुमार तिवारी** पुत्रगण स्व0 केदारनाथ तिवारी व **सुनील दत्त त्रिपाठी** पुत्र स्व0 अमरेश्वरी प्रसाद तिवारी व **जगमोहन ठाकुर** पुत्र स्व0 जगदीश कुमार ठाकुर व **श्रीमती सुधा शर्मा** पत्नी स्व0 जगदीश कुमार ठाकुर व **शैलेश कुमार ठाकुर** व **बृजेश कुमार ठाकुर** पुत्रगण जितेन्द्र कुमार ठाकुर व **श्रीमती गायत्री ठाकुर** पत्नी स्व0 जितेन्द्र कुमार ठाकुर व **राकेश**

0358
14/03/2015

0357

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 068591

कुमार ठाकुर व **उमेश कुमार ठाकुर** व **मुकेश कुमार ठाकुर** पुत्रगण स्व0 योगेन्द्र कुमार ठाकुर व **श्रीमती निर्मला देवी पत्नी** स्व0 योगेन्द्र कुमार ठाकुर व **आलोक कुमार ठाकुर** पुत्र स्व0 महेन्द्र कुमार ठाकुर निवासीगण मुहल्ला– मिर्जापुर बेतियाहाता, पोस्ट– सदर, शहर व जिला गोरखपुर के हैं जिन्हे इस विलेख में भूस्वामी/प्रथम पक्ष सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक उसके विपरीत भाव में न किया गया हो, भूस्वामी स्वयं, उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा। .... **प्रथम पक्ष**

वो

मेसर्स नवेल डेवलपर्स 132, बुद्धविहार तारामण्डल, गोरखपुर जरिये पार्टनर (1) **विनय कुमार तिवारी** पुत्र स्व0 केदारनाथ तिवारी निवासी मकान नं0– बी–3/89, विशाल

३५ नं १४-३-२०७६ रु १०१

जगनाथन ठाकुर डा० जगदीश प्रसाद ठाकुर ले सदली नगा हस्तलेख

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AD 420900

खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010 (2) **गिरीश प्रसाद रावत** पुत्र चौथी प्रसाद निवासी मकान नं0– 264, बुद्धनगर, रुस्तमपुर, पोस्ट नई शिवपुरी कॉलोनी, गोरखपुर 273016 (3) **रूद्रप्रताप सिंह** पुत्र स्व0 अखिलानन्द सिंह निवासी प्रयागपुरम, निकट दुर्गा चौक, महुई सुघरपुर, गोरखपुर 273016 (4) **मक्खन लाल गोयल** पुत्र स्व0 सम्पत लाल गोयल निवासी 73, निषाद चौक, निकट दुर्गा मन्दिर, बेतियाहाता दक्षिणी, मिर्जापुर, गोरखपुर 273016 के है जिन्हे इस विलेख में आगे बिल्डर/द्वितीय पक्ष सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो, बिल्डर स्वयं उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जावेगा। .... **द्वितीय पक्ष**

0.355

14/03/2018

c 358

दुर्गेश कुमार ड.ला.नं.-3045 कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420899

ज्ञात हो कि मुहल्ला मिर्जापुर हाता बेतिया, तप्पा व परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के गाटा संख्या 13 रकबा 0.1130 ह0 व गाटा संख्या 14 रकबा 0.3080 हे0 कुल दो आराज़ियात व कुल रकबा 0.4210 हे0 में प्रथम पक्ष के त्रियुगी नरायन त्रिपाठी व महेन्द्र कुमार तिवारी व विनोद कुमार तिवारी व प्रमोद कुमार तिवारी व अनूप कुमार तिवारी व विनय कुमार तिवारी का हक व हिस्सा 15107.48 वर्ग फीट यानी **1404.04 वर्ग मीटर** है व जिसके संटे पश्चिम स्थित आराजी नं0 10 मि (दस मि) रकबा 0.032 हे0 (खाता सं0 00096 पर दर्ज) व आराजी नं0 10 का (दस का) रकबा 0.106 हे0 व आराजी नं0 10 मि (दस मि) रकबा 0.032 हे0 (खाता सं0 00029 पर दर्ज) व आराजी नं0 10 मि (दस मि) रकबा 0.032 हे0 (खाता सं0 00115 पर दर्ज) यानी कुल रकबा 0.202 हे0 में से रकबा 12500 वर्ग

360
14/03/2018

32

दुर्गेश कु... कचहरी गोरखपुर

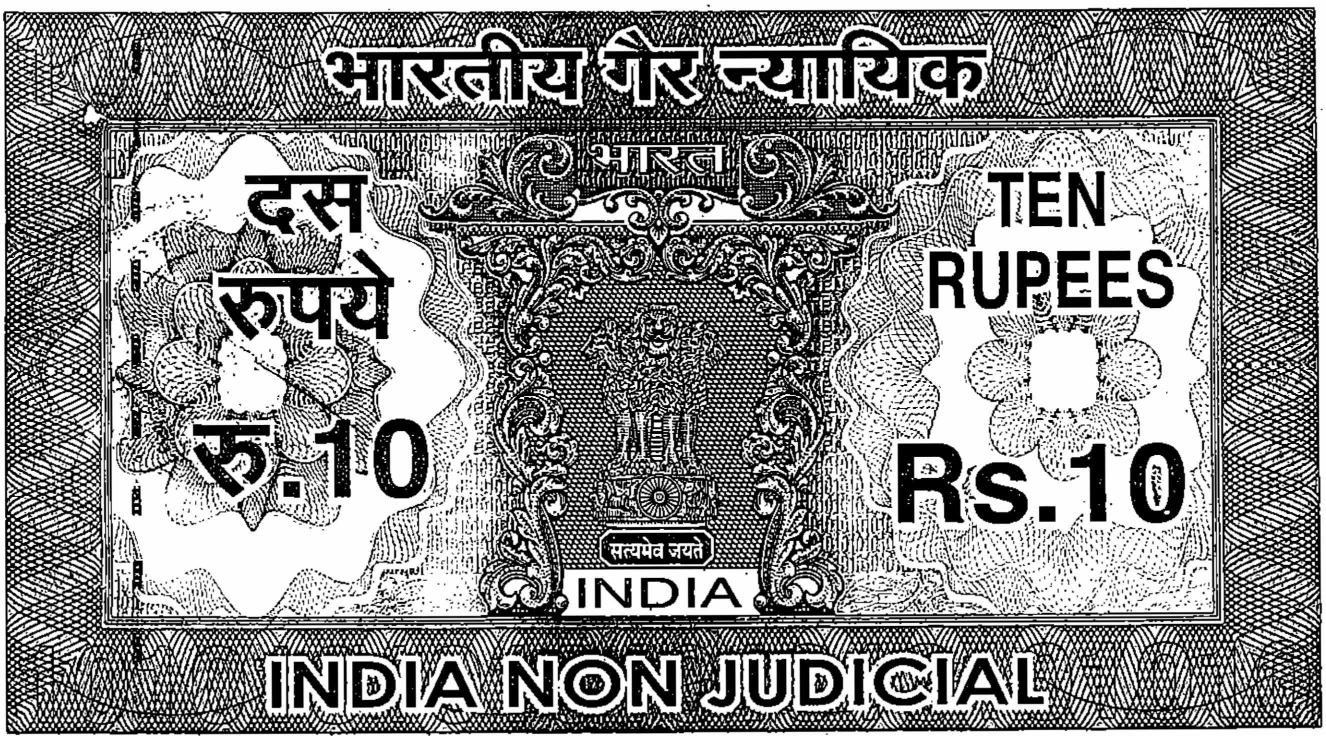

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420913

फीट यानी **1161.71 वर्ग मीटर** के प्रथम पक्ष के जगमोहन ठाकुर पुत्र स्व0 जगदीश कुमार ठाकुर व श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी स्व0 जगदीश कुमार ठाकुर व शैलेश कुमार ठाकुर व बृजेश कुमार ठाकुर पुत्रगण जितेन्द्र कुमार ठाकुर व श्रीमती गायत्री ठाकुर पत्नी स्व0 जितेन्द्र कुमार ठाकुर व राकेश कुमार ठाकुर व उमेश कुमार ठाकुर व मुकेश कुमार ठाकुर पुत्रगण स्व0 योगेन्द्र कुमार ठाकुर व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 योगेन्द्र कुमार ठाकुर व आलोक कुमार ठाकुर पुत्र स्व0 महेन्द्र कुमार ठाकुर मालिक काबिज दखील है, व आराजी नम्बर 13 व 14 में स्थित टिनशेड कमरा (नाले के तरफ यानि उत्तर स्थित था तथा नाले से सटा निर्माण था) की तहती भूमि में हक व हिस्सा 1/3 भाग जिसका रकबा 1167 वर्ग फीट यानी 108.4578 वर्ग मीटर के स्वामी आधिपत्यभोगी सुनील दत्त त्रिपाठी पुत्र स्व0 अमरेश्वरी प्रसाद तिवारी है, इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात के रकबा 2674.208 वर्ग

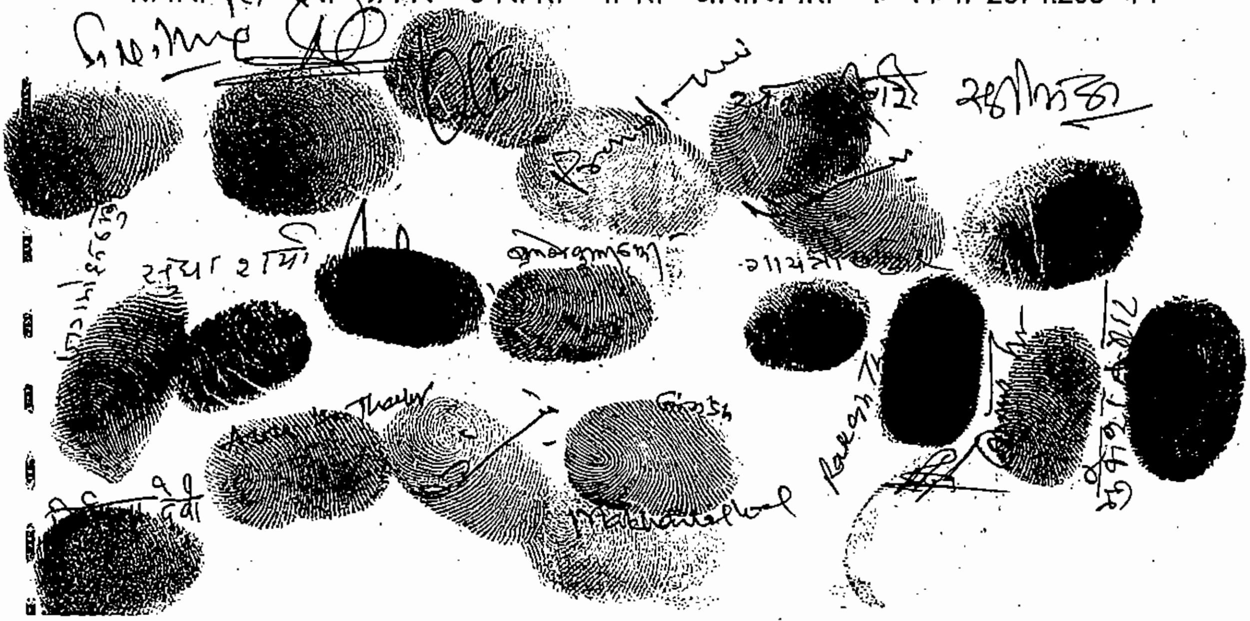

361
14/03/2015

338

दुर्गेश कुमार ओ.ला.नं.-3945
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रू.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420897

मीटर के पक्षकारगण प्रथम पक्ष मालिक काबिज है। पक्षकारगण प्रथम पक्ष ने विषयांकित सम्पूर्ण भूमि में अपने अपने हक व हिस्से को वरासतन हासिल किये है व प्रथम पक्ष के उक्त हक व हिस्से वाली आराजियात की विषयांकित भूमि में कुछ पुराने जिर्ण शिर्ण मकान भी मौजूद रहे है जिसका नगर निगम गोरखपुर मकान संख्या 484, 485, 485ए व 486 के रुप में कर निर्धारण हुआ है। हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष अपनी उक्त वर्णित सम्पत्ति के तनहा मालिक काबिज दखील है। हम पक्षकारगण प्रथम पक्ष को अपने स्वामित्व की उक्त भूमि को प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करने व हस्तानान्तरित करने व व्यवस्थित आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हम प्रथम पक्ष अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में कोई हिब्बा, इकरारनामा आदि जबानी या पंजीकृत या अपंजीकृत विलेख किसी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है और न

0 362

14/03/2010 ← 3??

स्टाम्प वेन्डर कचहरी गोरखपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420896

ही कोई मुआहिदावय पंजीकृत या अपंजीकृत किसी के हक में निष्पादित किया है और न रेहन, बन्धक या किसी भी प्रकार के बकाया आदि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्था, बैंक, सरकारी विभाग या न्यायालय में ज़मानत में दिया है तथा विषयांकित भूमि किसी भी प्रकार के दावेदारी, उजूरदारी आदि से ग्रस्त नहीं है, हर प्रकार से पाक व साफ है।

ज्ञात हो कि पक्षकारगण प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व की उक्त विषयांकित भूमि जिसे इस विलेख के साथ संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है और जो मिश्रित भूप्रयोग की भूमि है, से पक्षकारगण प्रथम पक्ष को वर्तमान में कोई लाभ व विशेषकर के जो वांछित लाभ प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पक्षकारगण प्रथम पक्ष अपनी उक्त स्वामित्व व स्वत्व वाले पुराने मकानात आदि को ध्वस्त कराकर उसकी

0365
14/03/2011

300

कुमार लै.ला.नं.-3945
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर
हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420895

तहती जमीन पर बहुमंजिले भवन का निर्माण करवाना चाहते है किन्तु प्रथम पक्ष भवन निर्माण सम्बन्धी ज्ञान व अर्थाभव के कारण ऐसा नही करा पा रहे है व ऐसी दशा में पक्षकारगण प्रथम पक्ष ऐसे ब्यक्ति या संस्था के तलाश में रहे जो अपना स्वंय का धन लगाकर बहुमंजिले भवन का निर्माण करवा देंवे व निर्माण में खर्च हुये धन के बदलें में नवनिर्मित भवन में अपना उचित हिस्सेदारी हासिल कर लेंवे। इस बीच पक्षकारगण प्रथम पक्ष की जब द्वितीय पक्ष से मुलाकात हुई तो पता चला कि द्वितीय पक्ष इस प्रकार के बहुमंजिले भवन के निर्माण का पर्याप्त अनुभव रखते है व वो अपना स्वंय का धन लगाकर भवन निर्माण करवाने के लिये इच्छुक है। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के समक्ष यह प्रस्ताव किया कि वो अपना धन लगाकर प्रश्नगत भूमि पर बहुमंजिली भवन का निर्माण करवा देंगे तथा प्रथम पक्ष को उनके स्वामित्व की भूमि के बदले

गायत्री ठाकुर

निर्मला देवी

2 364
141037 201 < 12

दुर्गेश कुमार लै.ला.नं.-395 ... कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420894

नवनिर्मित भवन में तयशुदा हिस्सेदारी दे देंगे व अपने निर्माण लागत के एवज में नवनिर्मित भवन में तयशुदा हिस्सेदारी स्वंय प्राप्त कर लेंगे व द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के स्वंय मालिक काबिज हो जायेगें। पक्षकारगण प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया तो पाया का द्वितीय पक्ष का प्रस्ताव काफी लाभकारी है व पक्षकार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में भवन निर्माण हेतु करार कर लिया। उभय पक्ष आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्ते तय वो स्वीकार किये हैं और इनके पूर्ण पालन करते रहने के लिए एक दूसरे से वचनबद्ध है:—:

1. यहकि प्रथम पक्ष की विषयांकित सम्पत्ति पर व्यवसायिक व आवासीय बहुमंजिली भवन /काम्प्लेक्स निर्माण हेतु यह अनुबन्ध विलेख (बिल्डर्स एग्रीमेन्ट) पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

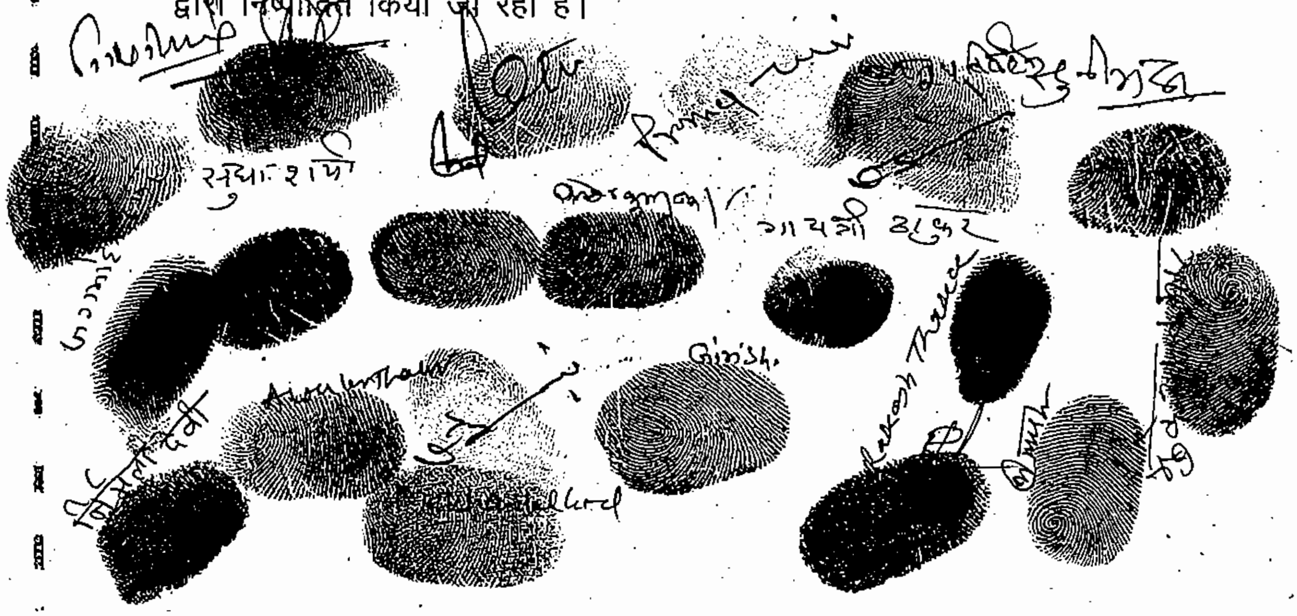

0 368
14/03/2014 & 203

दुर्गेश कुमार लै.ला.नं.-३९५ कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर
हस्ताक्षर
दिनांक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AD 420809

2. यहकि विषयांकित सम्पत्ति पर भवन के निर्माण हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से मानचित्र द्वितीय पक्ष अपने स्वयं के खर्चे से स्वीकृत करवाया जायेगा और मानचित्र स्वीकृत करवाने में लगने वाले धन के अलावां अन्य सहयोग आवश्यकतानुसार प्रथम पक्ष द्वारा दिया जायेगा।
3. यह कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अनुमन्य भवन (ब्यावसायिक व आवासीय/ ब्यावसायिक) का निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्वंय के खर्चे से करवाया जायेगा।
4. यहकि प्रथम पक्ष इस विलेख के द्वारा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार देते हैं कि द्वितीय पक्ष को भवन निर्माण हेतु जिस भी विभाग/कार्यालय से अनुमति या अनापत्ति प्राप्त करने की जरूरत हो, उसे स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्राप्त करें।

366
14/03/2013 = 368

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420847

साथ ही साथ द्वितीय पक्ष को यह भी अधिकार दिया जाता है कि इस विलेख़ के अनुसार जो भी निर्मित व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स में हिस्सा द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो रहा है, उसे स्वयं बेचे या अपने पास रखे व विलेख आदि स्वयं अपने हस्ताक्षर से निष्पादित करें।

5. यहकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के 3 वर्ष के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा भवन का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा।
6. यहकि निर्माण कार्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस दशा में भवन निर्माण की समयवधि स्वतः बढ़ जायेगी।
7. यहकि निर्धारित समयावधि में यदि किसी ऐसी घटना, जिसे टाला न जा सके, जैसे–बाढ़, भूकम्प, शासकीय नोटिस, सामान की अनुपलब्धता आदि के कारण या

0367
14/03/2011 C 300

दुर्गेश कुमार एस.ए.नं.-395
स्टाम्प वेण्डर कचहरी, गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420846

विधिक अड़चन के कारण यदि भवन निर्माण में कठिनाई आती है, तो उस स्थिति में दोनों पक्ष आपस में मिल–बैठकर आपसी सहमति से भवन निर्माण के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ा लेगें।

8. यहकि निमार्ण कार्य को कराने के सम्बंन्ध में सभी प्रकार के अन्य शासकीय अभिकरण से अनुमति/अनापत्ति इत्यादि जो भी जरुरी होगा, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी और इस सम्बन्ध में लगने वाले सभी खर्चों को द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगें इस सिलसिले में धन के अतिरिक्त कोई ऐसा सहयोग जो प्रथम पक्ष से अपेक्षित होगा, को प्रथम पक्ष द्वारा विना किसी विलम्ब के मुहैया कराया जायेगा।

0. 368
14/3/2011

352

कुमार लै.ला.नं.-3945 कचहरी, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420845

9. यहकि बहुमंजिली व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स के निर्माण व उसकी गुणवत्ता की निगरानी व निरीक्षण करने रहने का अधिकार प्रथम पक्ष को भी रहेगा तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई सुझाव देना चाहेगे तो द्वितीय पक्ष को दे सकते है। परन्तु निर्माण कार्य को रोकने या उसमें बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार प्रथम पक्ष को नहीं प्राप्त रहेगा।
10. यहकि प्रस्तावित भवन का पूर्ण निर्माण कार्य जिसमें कामन एरिया की फ्लोरीगं, बिजली, वायरिंग, कलरिंग इत्यादि सम्मिलित है, द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जावेगा।
11. यहकि द्वितीय पक्ष बहुमंजिली व्यवसायिक/आवासीय काम्प्लेक्स के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले मैटेरियल साज/सज्जा की गुणवत्ता को विशेष रूप से

0. 369
17/03/2015 - 337

2

दुर्गेश कुमार लै.ला.नं.-3945 कलेक्ट्री कचहरी गोरखपुर
हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AD 420844

ध्यान रखेंगे तथा भवन के आन्तरिक कारपेट एरिया के साज/सज्जा से द्वितीय पक्ष को कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा।

12. यहकि बहुमंजिली व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स के निर्माण हो जाने पर **38.89** प्रतिशत निर्माण के तनहा स्वामी प्रथम पक्ष (त्रियुगी नरायन त्रिपाठी व महेन्द्र कुमार तिवारी व विनोद कुमार तिवारी व प्रमोद कुमार तिवारी व अनूप कुमार तिवारी व विनय कुमार तिवारी) जबकि **17.38** प्रतिशत निर्माण के तनहा स्वामी काबिज प्रथम पक्ष (जगमोहन ठाकुर व श्रीमती सुधा शर्मा व शैलेश कुमार ठाकुर व बृजेश कुमार ठाकुर व श्रीमती गायत्री ठाकुर व राकेश कुमार ठाकुर व उमेश कुमार ठाकुर व मुकेश कुमार ठाकुर व श्रीमती निर्मला देवी व आलोक कुमार ठाकुर) व **2.36** प्रतिशत (जो अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर मात्र 1020 वर्गफीट होगा)

3022
14/03/2015 - 3022

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420843

निर्माण के तनहा स्वामी प्रथम पक्ष (सुनील दत्त त्रिपाठी) होंगे तथा द्वितीय पक्ष अपने द्वारा निर्माण में लगाये गये समस्त धन के एवज में नवनिर्मित व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स के **41.37** प्रतिशत हिस्से के तनहा मालिक हो जायेंगे द्वितीय पक्ष के **41.37** प्रतिशत निर्माण के स्वामित्व व कब्जा से प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार किसी भी प्रकार नहीं रहेगा तथा इस निर्माण को प्रत्येक प्रकार से अन्तरित करने, स्वयं उपयोग व उपभोग करने व किराये पर उठाने का एकमात्र अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा। इसी प्रकार जिस कुल **58.63** प्रतिशत (**38.89** प्रतिशत + **17.38** प्रतिशत + **2.36** प्रतिशत) निर्माण के तनहा मालिक प्रथम पक्ष होंगे उस **58.63** प्रतिशत निर्माण के प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जा से द्वितीय पक्ष से किसी भी प्रकार का वास्ता व संरोकर नहीं रहेगा तथा इस निर्माण को प्रत्येक

377
14.03.2014

लै.ला.नं.-395 कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर
हस्ताक्षर....
दिनांक....

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420842

प्रकार से अन्तरित करने तथा स्वयं उपयोग व उपभोग करने व किराये पर उठाने का पूरा अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

13. यह इस विलेख के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण के प्रत्येक तल को प्रदर्शित करते हुये एक नक्शा नजरी संलग्न किया जा रहा है जिसमें प्रथम पक्ष के त्रियुगी नरायन त्रिपाठी व महेन्द्र कुमार तिवारी व विनोद कुमार तिवारी व प्रमोद कुमार तिवारी व अनूप कुमार तिवारी व विनय कुमार तिवारी को नवनिर्मित भवन में प्राप्त हाने वाले अंश को लाल रंग से दर्शाया गया है जबकि प्रथम पक्ष के जगमोहन ठाकुर व श्रीमती सुधा शर्मा व शैलेश कुमार ठाकुर व बृजेश कुमार ठाकुर व श्रीमती गायत्री ठाकुर व राकेश कुमार ठाकुर व उमेश कुमार ठाकुर व मुकेश कुमार ठाकुर व श्रीमती निर्मला देवी व आलोक कुमार ठाकुर को नवनिर्मित भवन

14/03/2018

…कुमार लै.ला.नं.-395…
…कलेक्टरेट कचहरी, गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420841

में प्राप्त हाने वाले अंश को हरा रंग से दर्शाया गया है व प्रस्तावित भवन में प्रथम पक्ष के सुनील दत्त त्रिपाठी को प्राप्त होने वाले अंश को गुलाबी रग से दर्शाया गया है। तथा द्वितीय पक्ष को को नवनिर्मित भवन में प्राप्त हाने वाले अंश को नीला रंग से दर्शाया गया है।

14. यहकि प्रस्तावित भवन के निर्माणोपरान्त निर्मित भवन के अन्तिम छत का प्रथम पक्ष के भूस्वामीगण शेष पक्षकारगण की सहमती के उपरान्त ही कोई उपयोग उपभोग करेंगे साथ ही साथ यह भी तय पाया गया कि प्रथम पक्ष द्वारा अपने अन्तिम छत के हक व हिस्से का अन्तरण प्रथम व द्वितीय पक्ष के प्रत्येक सदस्य की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही किसी अन्य के पक्ष में करेंगे।

0 32
14/03/2015

307

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420840

15. यहकि भविष्य में प्रस्तावित भवन के अन्तिम तल पर निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा कम्पाउन्ड़ीग की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा में पक्षकारगण अपने–अपने तयशुदा प्रतिशत के अनुसार कम्पाउन्ड़ीग की धनराशि अदा करेगें व मानचित्र संशोधन के पश्चात द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसा निर्माण करवाया जायेगा।
16. यहकि इस विलेख के निष्पादन व पंजीकृत कराने में लगने वाले समस्त खर्चों को द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।
17. यहकि किन्हीं कारणों से इस विलेख में अंकित शर्तों के सम्बन्ध में कोई मतभेद पक्षकारों के बीच कभी पैदा हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए दोनों पक्षों द्वारा पंचीट नियुक्त करके मामले का निपटरा किया जायेगा।

0 384
14/03/2011 C 383

सुरेश कुमार लै.ला.नं.-३९५ २
हस्ताक्षर
दिनांक
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420839

18. यहकि उभय पक्ष के मध्य आपसी सहमति से यह भी तय पाया गया कि बहुमंजिली व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स में निर्माण करायी गयी सीढ़ी, सेटबैक, पैसेज पार्किंग आदि कामन एरियाज का प्रयोग दोनो पक्षकारों एवं उनके अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग किया जावेगा। किसी भी पक्षकार या उनके अन्तरिती या किरायेदार द्वारा ऐसे कामन उपयोग वाले हिस्से पर किसी भी तरह का कोई भी अतिक्रमण या अवरोध पैदा नहीं किया जायेगा।
19. यहकि बहुमंजिली व्यवसायिक व आवासीय काम्पलेक्स के निर्माण कराते समय द्वितीय पक्ष इस भवन में आवश्यतानुसार लिफ्ट व एक्सीलेटर की व्यवस्था करेंगे।

385
14/237/2015

383

ोर कुमार लै.ला.नं.-३९५ रुद्रपुर
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर
हस्ताक्षर...
दिनांक...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AD 420838

20. यहकि निर्माण कराये जाने वाले बहुमंजिली व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स में द्वितीय पक्ष द्वारों बोरिंग कराया जायेगा तथा पानी, बिजली, ड्रेनेज व ट्वायलेट की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जायेगा।
21. यहकि प्रत्येक पक्ष अपने–अपने अंश का आयकर, गृहकर, सर्विस टैक्स, वैट/जी एस टी आदि जो भी नियमों के अनुसार देय होगा उसे स्वयं अदा करेंगे।
22. यहकि प्रस्तावित बहुमंजिली व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत हो जाने के बाद यदि प्रस्तावित भवन के निर्माण में (पैरा 13 में वर्णित अंश के विपरीत) कोई संशोधन होता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा दुकानों/फ्लैट्स का नम्बर चिन्हित करते हुये अज सिरे नव उसका बॅटवारा किया जायेगा और आपसी सहमति से उभय पक्ष द्वारा एक नक्शा नजरी तैयार कर

376
14/03/2021 — 377

कुमार लै.ला.नं.-3045
हस्ताक्षर.......
दिनांक.......
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420837

अपने–अपने हिस्सों को अलग–अलग रंग से दर्शाते हुए ऐसे नक्शा नजरी को संलग्न करते हुये एक सप्लीमेन्ट्री विलेख निष्पादित कर निबन्धित करा लिया जायेगा जो कि इस विलेख का अंश माना जायेगा और उसकी पाबन्दी पक्षकारों पर होगी व उसी के अनुसार नवमिर्मित भवन में प्रथम व द्वितीय पक्ष के हिस्सों का निर्धारण होगा।

23. यहकि बहुमंजिली व्यवसायिक व आवसीय कामप्लेक्स के निर्माण के दौरान हुए किन्हीं दुर्घटना की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी प्रथम पक्ष इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायी नहीं होगी।

24. यह कि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट के शर्तों के अधिन प्रश्नगत भूमि पर नवनिर्मित बहुमंजिली व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स को "K.P. TOWER" के नाम से

c 322

c 302

कुमार लै.ला.नं.-३९५

हस्ताक्षर.......

दिनांक.......

कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

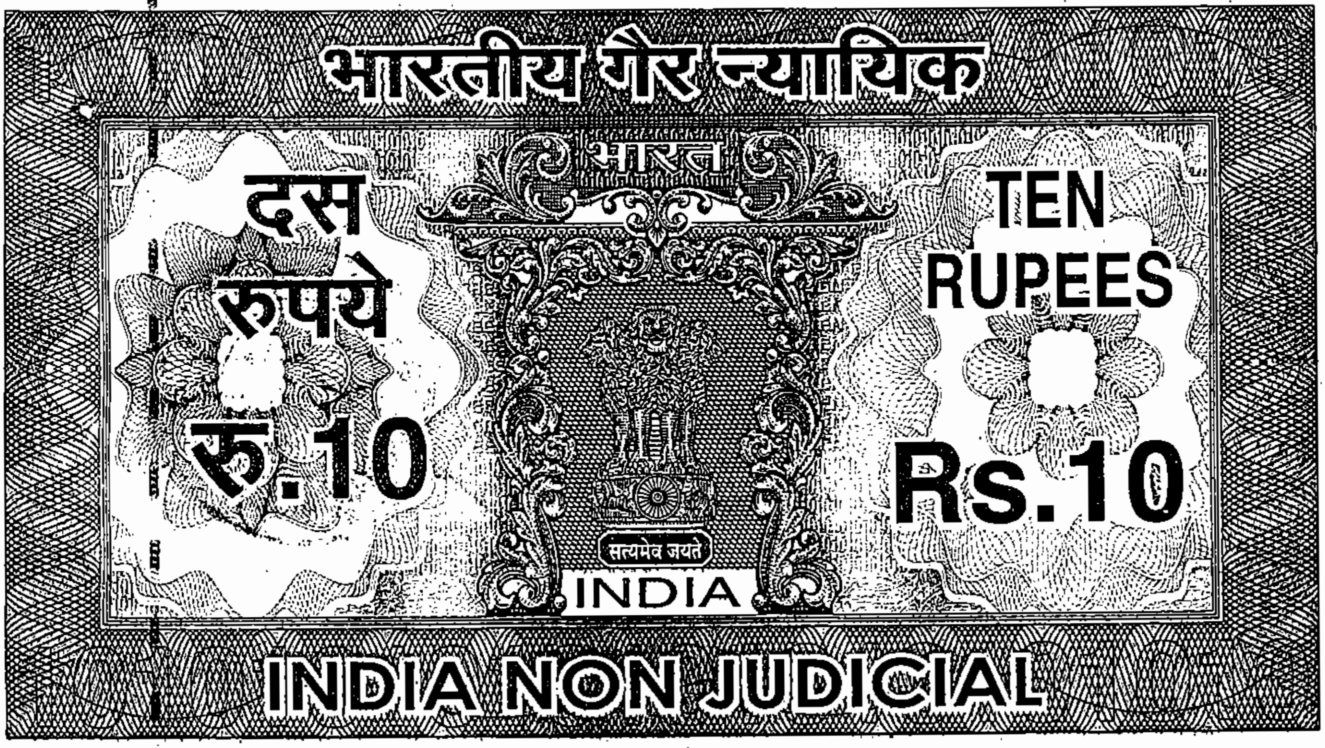

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420836

पुकारा जायेगा और ऐसे नवनिर्मित भवन में जो कामन पैसेज, सीढ़ी, पार्किंग, सेटबैक इत्यादि पक्षकारों व उनके अन्तरतियों के संयुक्त प्रयोग में रहेगी के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्रतिनिधि द्वारा जो भी अनुरक्षण चार्ज इस सम्बन्ध में निर्धारित किया जायेगा, या उसमें समय–समय पर बढ़ोत्तरी की जायेगी के अदा करने की जिम्मेदारी भवन के समस्त अध्यासियों या पक्षकारों द्वारा आबाद किरायेदारान द्वारा अदा किया जायेगा। ताकि इस बहुमंजिली व व्यवसायिक काम्प्लेक्स का मेन्टीनेन्स सुचारू रूप से होता रहे।

25. यह कि नियमो के अनुसार यादि purchasable FAR क्रय किया जाता है तो ऐसे purchasable FAR को क्रय करने में जो खर्च आयेगा, उसे प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष

C 378 / 14/03/2019 C 307

कुमार लै.ला.नं.-3945
हस्ता.
दि.
कलेक्टी कचहरी, गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420835

50 प्रतिशत व 50 प्रतिशत के अनुपात में वहन करेंगे और इस प्रकार से प्राप्त purchasable FAR पर निर्मित भवन में भी प्रथम व द्वितीय पक्ष का अंश 50 प्रतिशत व 50 प्रतिशत के अनुपात ही रहेगा किन्तु पक्षों के मध्य तय पाया गया कि ऐसे purchasable FAR वाले हिस्से में होने वाले भवन निर्माण का खर्चा द्वितीय पक्ष ही वहन करेंगे।

26. यहकि व्यवसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स में जो भी purchasable FAR क्रय करने के बाद उस पर जो निर्माण व्यय आयेगा, उसका भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जायेगा।

27. यह कि विषयांकित सम्पत्ति जिस पर निर्माण कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जायेगा, कुल क्षेत्रफल— **2674.208 वर्ग मीटर** (दो हजार दः सौ चौहत्तर दशमलव

14/03/2018

कुमार लै.ला.नं.-3045
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर
हस्ताक्षर……
दिनांक……

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420834

दो शून्य आठ वर्ग मीटर) है जिसका पूरा विवरण इस विलेख के अन्त में दिया जा रहा है।

28. यह कि निर्माण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के (मैटोरियल, लेबर या कान्टैक्टर) के बकाया/भुगतान का पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष हा होगा।

29. यह कि व्यावसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स के छत पर मालिकाना हक हर सूरत में प्रथम पक्ष का होगा यदि भविष्य में जीडीए द्वारा FAR बढ़ाया जाता है और द्वितीय पक्ष इसी एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार आगे का कार्य करने में सहमत होगे तो दोनो पक्षों द्वारा वह कार्य किया जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यावसायिक व अवासीय दूकानों की छत पर वी सेट एन्टीना, पानी की टंकी,

380
14/3/2011

कुमार लै.ला.नं.-३९५

हस्ताक्षर.......

दिनांक.......

कचहरी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AD 420833

विज्ञापन आदि लगाने का अधिकार द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष के अध्यासियों को होगा, उसमें प्रथम पक्ष द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

30. यह कि व्यावसायिक व आवासीय काम्प्लेक्स में सुविधाओं यथा– जेनरेटर, पार्किंग क्षेत्र का रख–रखाव सुरक्षा हेतु गार्ड की व्यवस्था, विज्ञापन बोर्ड, कामन एरिया का रख–रखाव, काम्प्लेक्स का बाहरी रंग रोगन लिफ्ट एवं एक्सेलेटर के रख–रखाव आदि की जिम्मेदारी भवन के अध्यासीगण जो इस्तेमाल करेंगे, अपने–अपने अध्यासन के क्षेत्रफल के अनुसार उसका रख–रखाव का पैसा अदा करेंगे। इसकी एक सोसाएटी/सेवा प्रदाता की स्थापना करेंगे जिसके माध्यम से उपरोक्त तथा अन्य सेवायें प्रदान की जायेंगी एवं उनका उचित शुल्क वसूल की जायेगी।

0 381

14/03/2015

3589

	Total area	8495.68	(100%)
	Tiwari jee	3303.97	(38.89%)
	Thakur jee	1476.55	(17.38%)
	Builder Area	3715.16	(43.73%)

Submission area = 10346.42 sq. ft (0.36) Far
Saleable area = 8495.68 sq. ft (0.30) Far
Passage area = 1850.74 sq. ft (0.06) Far

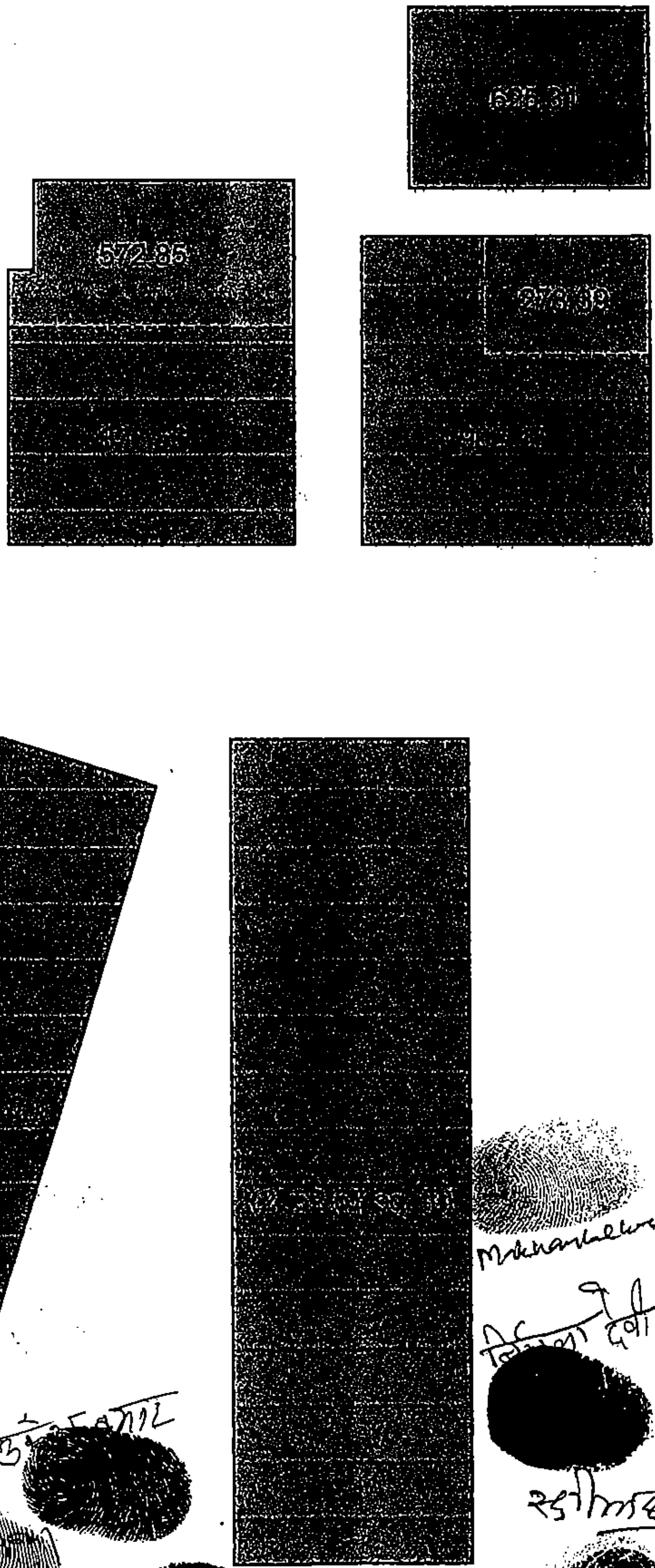

Saleable area = 8495.68 sq. ft

LOWER GROUND FLOOR PLAN

	Total area	8958.56	(100%)
	Tiwari jee	3483.98	(38.89%)
	Thakur jee	1557.00	(17.38%)
	Tripathi jee	1020.00	(11.39%)
	Builder Area	2897.58	(32.34%)

Submission area = 10639.36 sq. ft (0.37) Far
Saleable area = 8958.56 sq. ft (0.31) Far
Passage area = 1680.80 sq. ft (0.06) Far

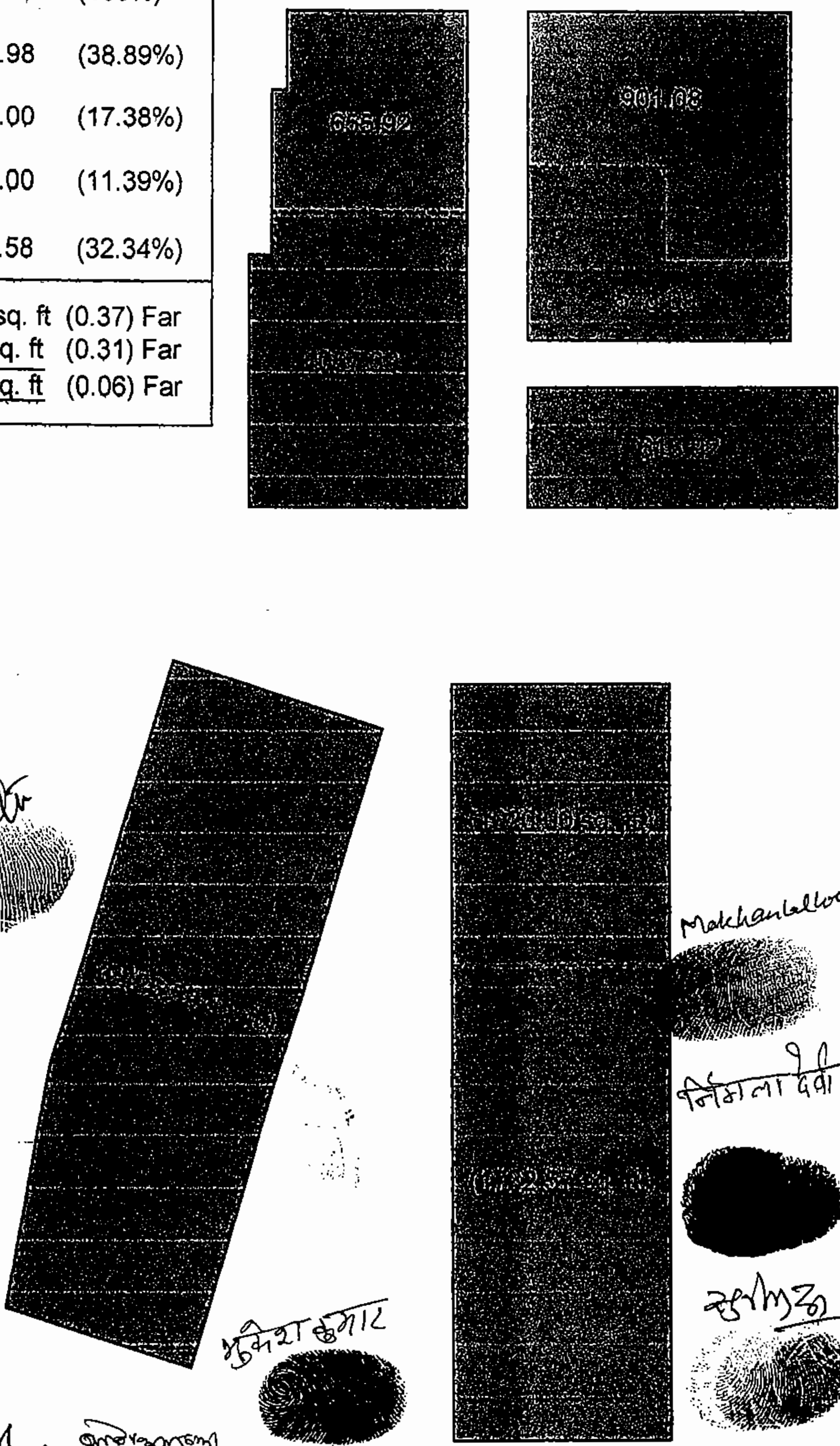

Saleable area = [illegible]8.56 sq. ft

UPPER GROUND FLOOR PLAN

गोरखपुर

	Total area	9483.50	(100%)
▨	Tiwari jee	3688.13	(38.89%)
▨	Thakur jee	1648.23	(17.38%)
▨	Builder Area	4147.14	(43.73%)

Submission area =	11259.17 sq. ft	(0.39) Far
Saleable area =	9483.50 sq. ft	(0.33) Far
Passage area =	1775.67 sq. ft	(0.06) Far

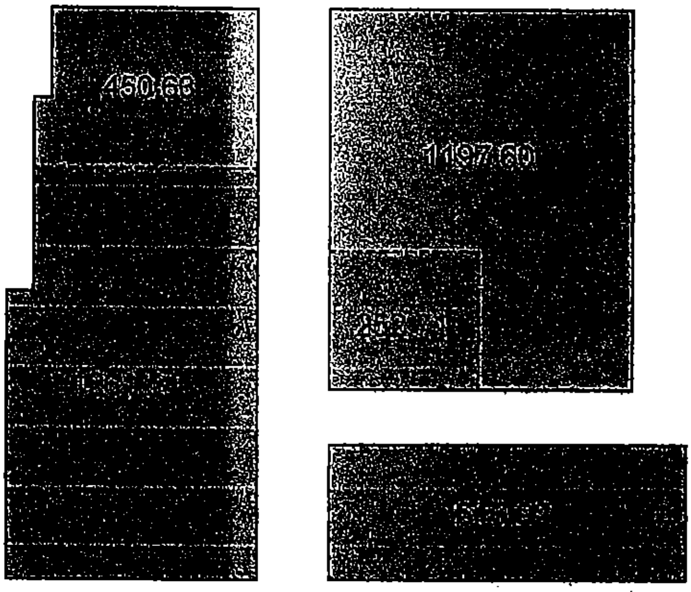

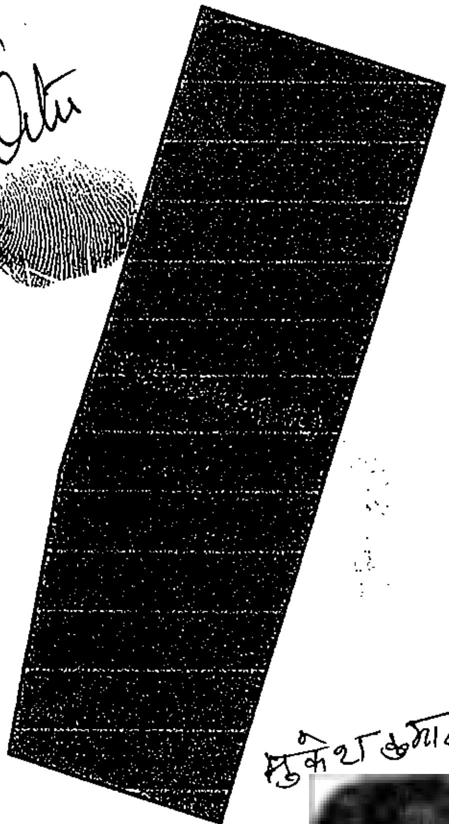

Saleable area 483.50 sq. ft

FIRST FLOOR PLAN

[illegible] उप निबन्धक गोरखपुर जिला [illegible]

	Total area	10246.09	(100%)
▓	Tiwari jee	3984.70	(38.89%)
▓	Thakur jee	1780.77	(17.38%)
▓	Builder Area	4480.62	(43.73%)

Submission area =	13103.89 sq. ft	(0.46) Far
Saleable area =	10246.09 sq. ft	(0.36) Far
Passage area =	2857.80 sq. ft	(0.10) Far

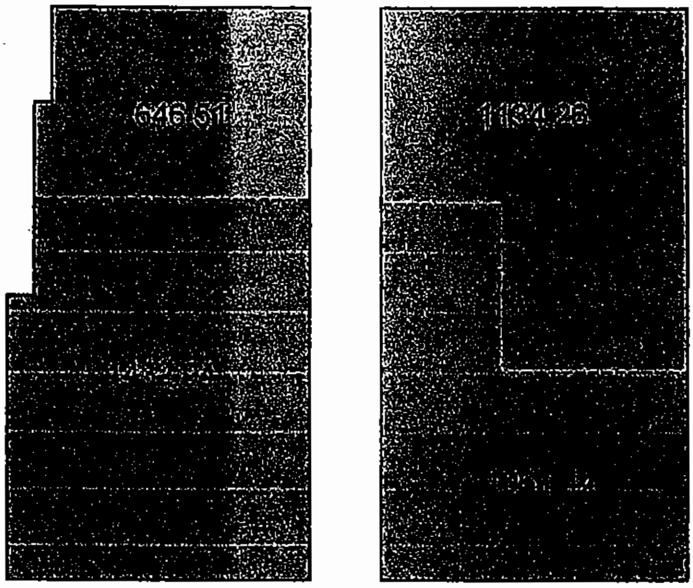

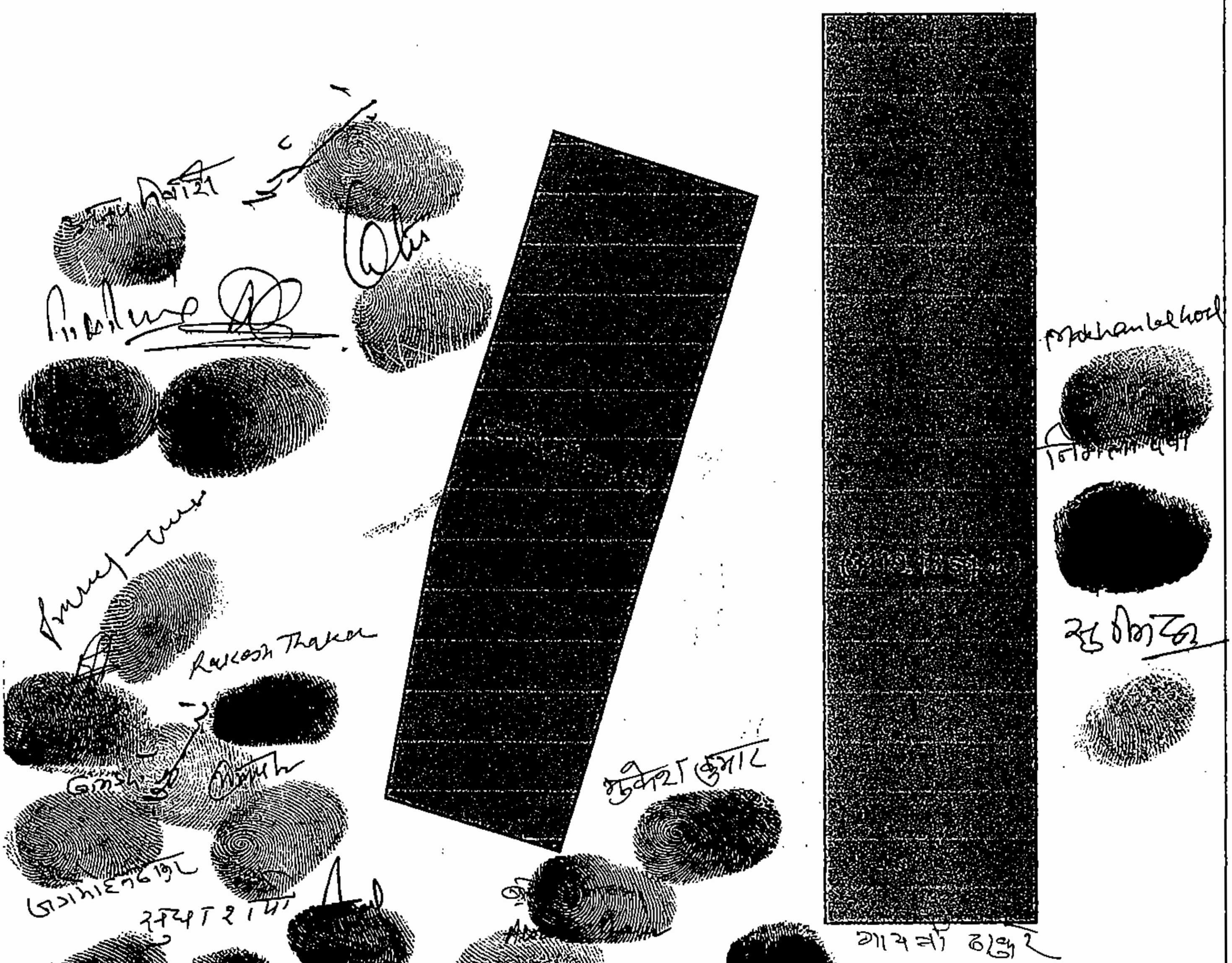

Saleable area = 10246.09 sq. ft

SECOND FLOOR PLAN

गोरखपुर

	Total area	10246.09	(100%)
	Tiwari jee	3984.70	(38.89%)
	Thakur jee	1780.77	(17.38%)
	Builder Area	4480.62	(43.73%)

Submission area =	13103.89 sq. ft	(0.46) Far
Saleable area =	10246.09 sq. ft	(0.36) Far
Passage area =	2857.80 sq. ft	(0.10) Far

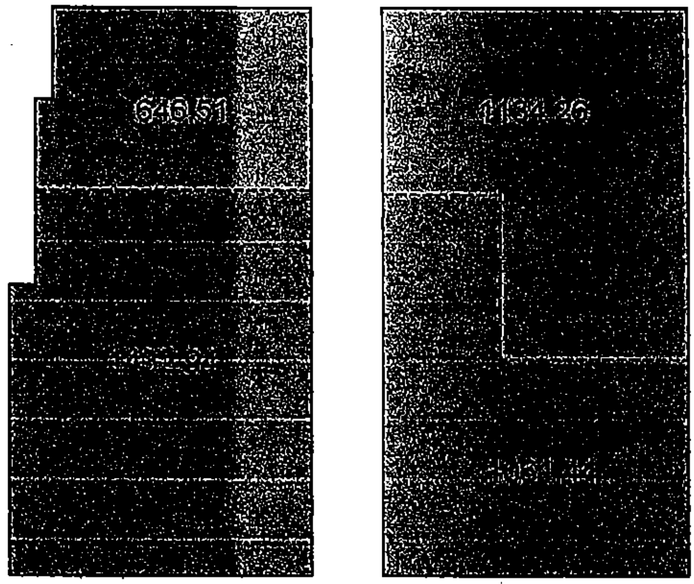

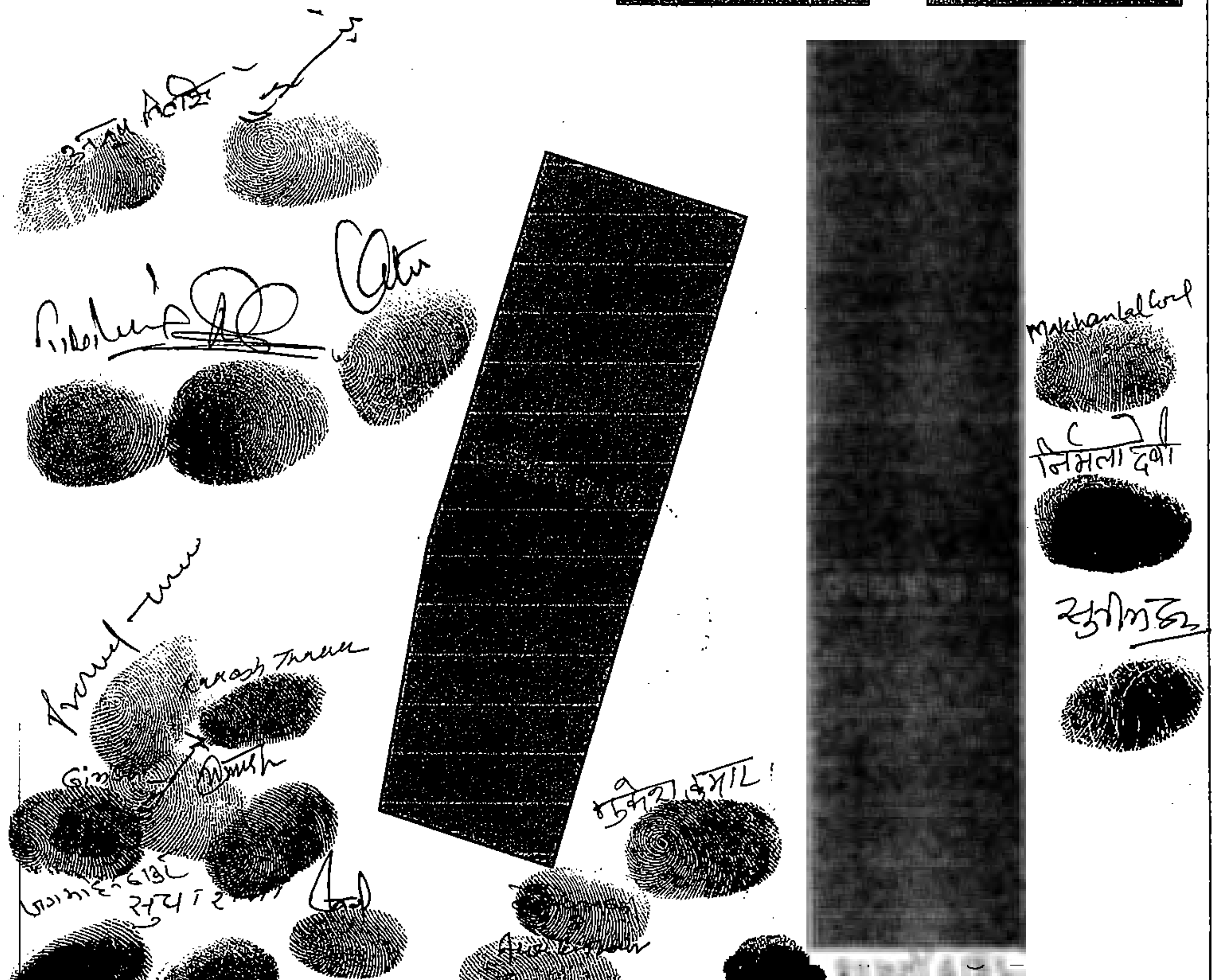

Saleable area = 10246.09 sq. ft

THIRD FLOOR PLAN

	Total area	2440.36	(100%)
▩	Tiwari jee	949.06	(38.89%)
▩	Thakur jee	424.13	(17.38%)
▩	Builder Area	1067.17	(43.73%)

Submission area = 2440.36 sq. ft (0.08) Far
Saleable area = 2440.36 sq. ft (0.08) Far

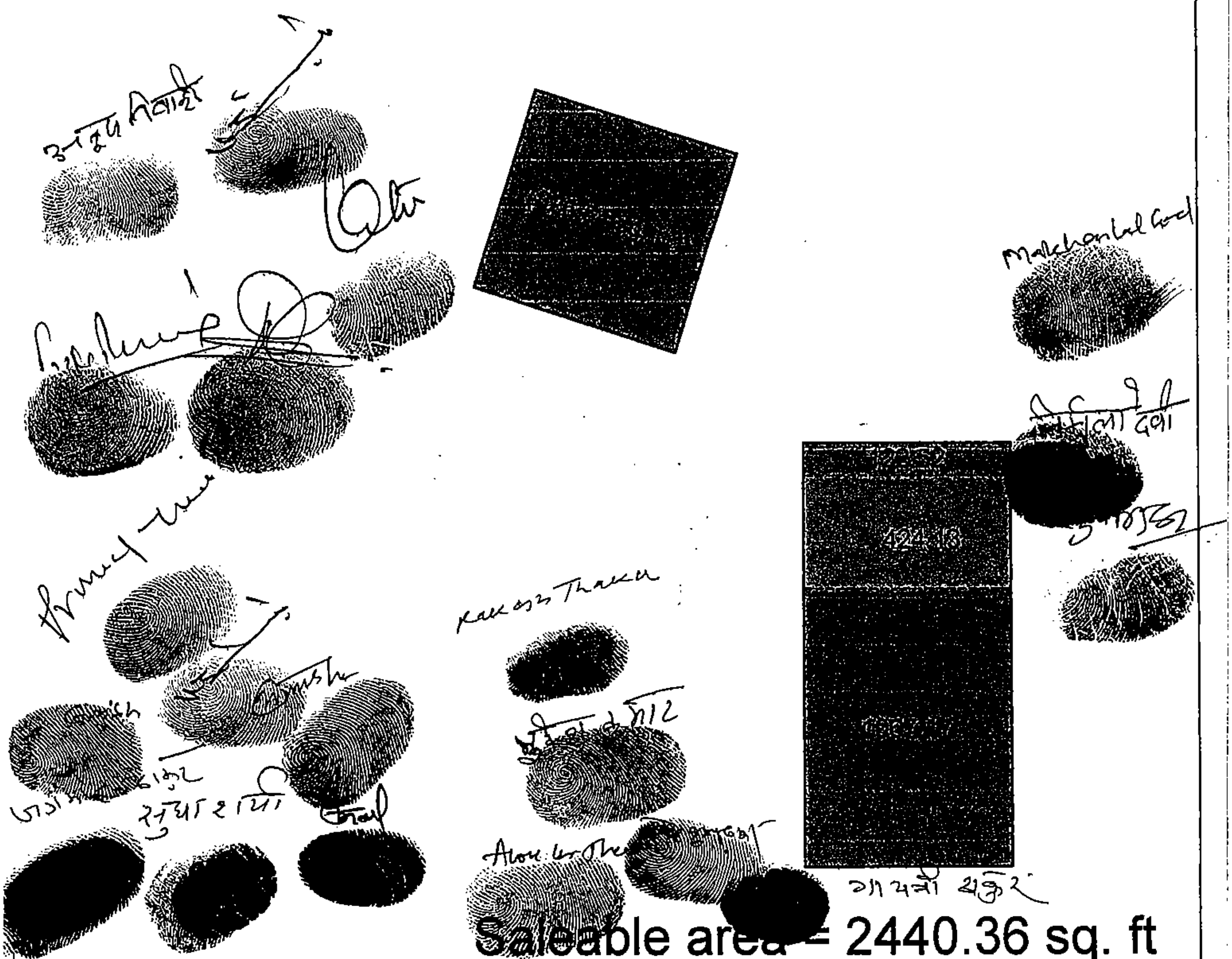

Saleable area = 2440.36 sq. ft

FOURTH FLOOR PLAN

गोरखपुर जिला गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 404738

31. यहकि द्वितीय पक्ष द्वारा/उसके अध्यासियों द्वारा आच्छादित दुकान/कामर्शियल एरिया/आवासीय एरिया द्वारा उपयोग खर्च चुकाने की शर्त द्वितीय पक्ष द्वारा स्थानान्तरण विलेख/किराया विलेख/लीज एग्रीमेन्ट में स्पष्ट रूप से वर्णित की जायेगी।
32. यह कि प्रश्नगत भूमि पर कोई वर्तमान समय मे कोई पुराना निर्माण या मलवा नही है।
33. यह कि पक्षकारगण प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि प्राप्त किया है:-

૬૨ — ૧૫-૩-૨૦૦૯-૧૦ [illegible]
ન.નં. ૨૬૯ [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420831

क्र0	धनराशि (रु0)	चेक नं0	बैंक	दिनांक	प्राप्तकर्ता
1.	1,50,000/–	635524	ओ0बी0सी0	17/12/2012	श्रीमती सुधा शर्मा
2.	5,00,000/–	709961	पी0एन0बी0	01/09/2014	योगेन्द्र कुमार ठाकुर
3.	15,00,000/–	429913	पी0एन0बी0	09/08/2018	त्रिजुगी नरायण त्रिपाठी
4.	25,00,000/–	429912	पी0एन0बी0	02/08/2018	महेन्द्र कुमार तिवारी
5.	15,00,000/–	429904	पी0एन0बी0	12/07/2018	विनोद कुमार तिवारी
6.	15,00,000/–	429909	पी0एन0बी0	20/07/2018	प्रमोद तिवारी
7.	15,00,000/–	429908	पी0एन0बी0	20/07/2018	अनूप कुमार तिवारी
8.	2,00,000/–	429917	पी0एन0बी0	18/01/2019	सुनील दत्त त्रिपाठी

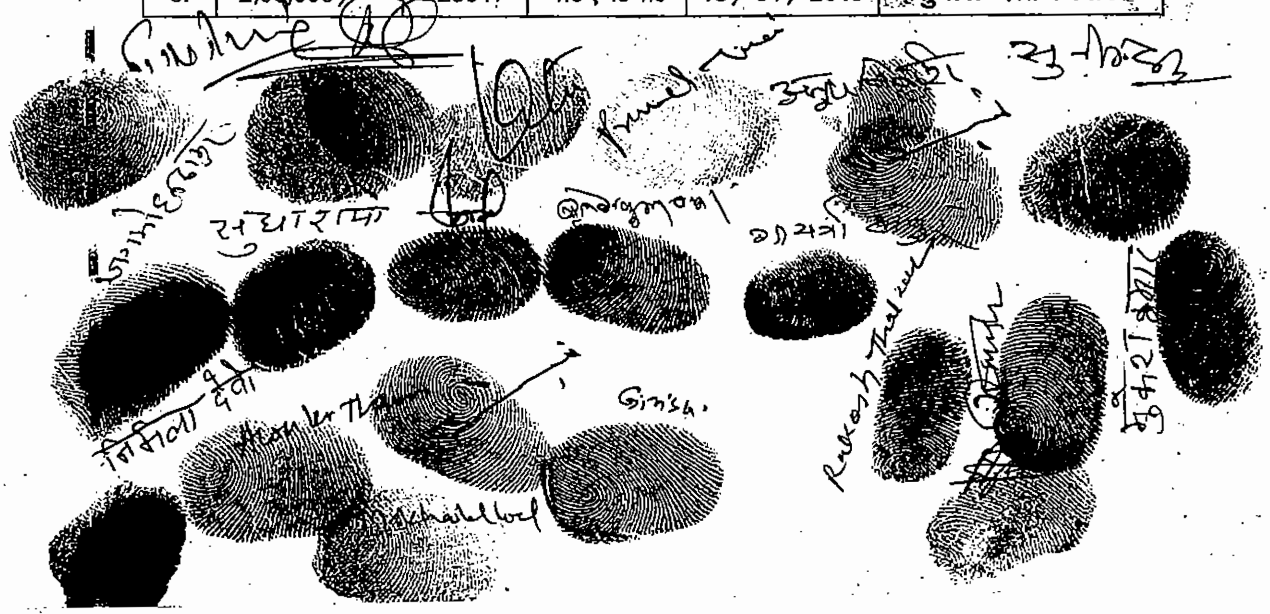

1383
14/03/2019

कमीशन पुष्टि विलेख - धारा-52

आवेदन सं०: 201900950009052

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

बही स०: 1	रजिस्ट्रेशन स०: 3290	वर्ष: 2019

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 6012000 बाजारी मूल्य - 85881000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 200 योग : 20200

प्रार्थना पत्र कमीशन दिनांक द्वारा
श्री, मेसर्स नवेल डेवलपर्स जरिये पार्टनर द्वारा विनय कुमार तिवारी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि के क्रम में
मै उप निबंधक : के०के० तिवारी
जनपद : सदर द्वितीय गोरखपुर

श्री, मेसर्स नवेल डेवलपर्स जरिये पार्टनर द्वारा
विनय कुमार तिवारी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
पुत्र श्री स्व० केदारनाथ तिवारी
व्यवसाय : व्यापार
निवासी : बी-3/89, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

श्री, मेसर्स नवेल डेवलपर्स जरिये पार्टनर द्वारा	विनय कुमार तिवारी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि	

पर उपस्थित हुआ। उक्त श्री मेसर्स नवेल डेवलपर्स जरिये पार्टनर द्वारा विनय कुमार तिवारी अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि द्वारा यह लेखपत्र निबंधन हेतु मेरे समक्ष
समय 14/03/2019 एवं 09:01:50 PM बजे उक्त निर्दिष्ट स्थान पर प्रस्तुत किया गया ।

6828

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के०के० तिवारी
उप निबंधक :सदर द्वितीय
गोरखपुर

14/03/2019

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420830

9.	—	—	—	—	—
10.	—	—	—	—	—
11.	—	—	—	—	—
12.	—	—	—	—	—

34. यह कि सरकारी सर्किल रेट जमीन मु0 39,000/— रुपये प्रतिवर्ग मीटर व मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश संख्या 31 के अनुक्रम में मूल्यांकन मु0 8,58,81,000/— (रुपया आठ करोड़ अट्ठावन लाख इक्यासी हजार) होता है तदुनसार अनुमन्य स्टैम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

इस प्रकार साक्षीगण श्रीमती अंजू त्रिपाठी व श्रीमती रजनी द्विवेदी की सहमति से व उनके पूर्व में अपने भाइयों के पक्ष में आराजी नम्बर 13 व 14 में अपने

पुष्टि विलेख 58,59

पहचानकर्ता : 2

श्री दिनेश, पुत्र श्री रामनरायन

निवासी: सिक्टौर, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

के.के. त्रिपाठी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गोरखपुर

कमलेश कुमार श्रीवास्तव
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420911

अधिकारों के किये गये अभित्यजन के तथ्यों की स्वीकारोक्ति के साथ हम पक्षकारगण इस विलेख को साक्षीगण के समक्ष अपने–अपने स्वेच्छा वो स्वच्छ मस्तिष्क के, बिना किसी भी प्रकार के जोर व दबाव के तथा खूब सोच व समझकर व पढ़ व समझकर निष्पादित करते हुए साक्षियों के समक्ष अपना–अपना हस्ताक्षर बना व निशानी अंगूठा को लगा दिया है कि समय पर काम आवे व प्रमाण के रहे जो दोनों पक्षों के उत्तराधिकारियों पर भी प्रभावी व बाध्यकारी होगा।

तफसील सम्पत्ति मौजा– मिर्जापुर हाता बेतिया, तप्पा व परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के उद्धरण खतौनी फसली सन् 1423–1428 फसली के खाता सं0 00328 पर दर्ज आराजी नं0 13 (तेरह) रकबा 0.113हे0 व आराजी नं0 14 (चौदह) रकबा 0.308हे0 यानी कुल रकबा 0.421 हे0 में से रकबा 15017.48 वर्ग फीट **यानी 1404.04 वर्ग मीटर** तथा खाता सं0 00096 पर दर्ज आराजी नं0 10 मि (दस

श्री मुकेश कुमार ठाकुर, पुत्र श्री स्व० योगेन्द्र कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 16

श्रीमती निर्मला देवी, पत्नी श्री स्व० योगेन्द्र कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 17

श्री आलोक कुमार ठाकुर, पुत्र श्री स्व० महेन्द्र कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

श्री मेसर्स नवेल डेवलपर्स जरिये पार्टनर के द्वारा विनय कुमार तिवारी, पुत्र श्री स्व० केदारनाथ तिवारी

निवासी: बी-3/89, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 2

श्री मेसर्स नवेल डेवलपर्स जरिये पार्टनर के द्वारा गिरीश प्रसाद रावत, पुत्र श्री चौथी प्रसाद रावत

निवासी: 264, बुद्धनगर, रुस्तमपुर, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 3

श्री मेसर्स नवेल डेवलपर्स जरिये पार्टनर के द्वारा रुद्रप्रताप सिंह, पुत्र श्री स्व० अखिलानन्द सिंह

निवासी: प्रयागपुरम, निकट दुर्गा चौक, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 4

श्री मेसर्स नवेल डेवलपर्स द्वारा पार्टनर के द्वारा मक्खन लाल गोयल, पुत्र श्री स्व० सम्पत राम गोयल

निवासी: 73, निषाद चौक, निकट दुर्गा मन्दिर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हरिशंकर, पुत्र श्री प्रयागदत्त

निवासी: भरवलिया बुजुर्ग, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420828

मि) रकबा 0.032 हे0 व खाता सं0 00097 पर दर्ज आराजी नं0 10 का (दस का) रकबा 0.106 हे0 व खाता सं0 00029 पर दर्ज आराजी नं0 10 मि (दस मि) रकबा 0.032 हे0 व खाता सं0 00115 पर दर्ज आराजी नं0 10 मि (दस मि) रकबा 0.032 हे0 यानी कुल रकबा 0.202 हे0 में से रकबा 12500 वर्ग फीट यानी **1161.71 वर्ग मीटर** व खाता सं0 00328 पर दर्ज आराजी नं0 13 व 14 (तेरह व चौदह) रकबा 0.4210 हे0 में से रकबा 1167 वर्ग फीट यानी **108.457 वर्ग मीटर** अर्थात कुल रकबा 28774.48 वर्ग फीट (अट्ठाइस हजार सात सौ चौहत्तर दशमलव चार आठ वर्ग फीट) अर्थात **2674.208 वर्ग मीटर** (दो हजार दः सौ चौहत्तर दशमलव दो शून्य आठ वर्ग मीटर) हेतु यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: सेवानिवृत

विक्रेता: 8

श्री जगमोहन ठाकुर, पुत्र श्री स्व० जगदीश कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 9

श्रीमती सुधा शर्मा, पत्नी श्री स्व० जगदीश कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 10

श्री शैलेश कुमार ठाकुर, पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: नौकरी

विक्रेता: 11

श्री बृजेश कुमार ठाकुर, पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 12

श्रीमती गायत्री देवी, पत्नी श्री स्व० जितेन्द्र कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 13

श्री राकेश कुमार ठाकुर, पुत्र श्री स्व० योगेन्द्र कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: कृषि Rakesh Thakur

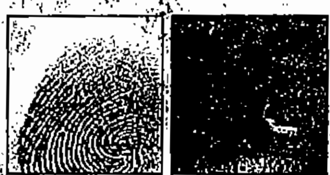

विक्रेता: 14

श्री उमेश कुमार ठाकुर, पुत्र श्री स्व० योगेन्द्र कुमार ठाकुर

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: वकालत

विक्रेता: 15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420827

पूरब – हनुमान मन्दिर रोड (मुंशी प्रेमचन्द पार्क से हनुमान मन्दिर होते हुये बेतियाहाता चौराहा तक जाने वाली सड़क)।

पश्चिम – मकान विनय ठाकुर व अन्य।

उत्तर – गन्दा नाला बादहू सम्पत्ति नगर निगम व टिनशेड संतोष त्रिपाठी आदि।

दक्षिण – मकान व सहन सुनील तिवारी।

आवेदन सं०: 201900950009052

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 3290 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री त्रियुगी नरायन त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० केदारनाथ तिवारी

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: सेवानिवृत

विक्रेता: 2

श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, पुत्र श्री स्व० केदारनाथ तिवारी

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: सेवानिवृत

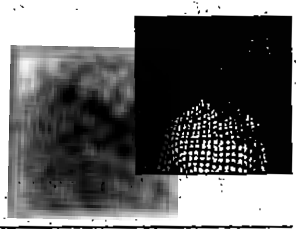

विक्रेता: 3

श्री विनोद कुमार तिवारी, पुत्र श्री स्व० केदारनाथ तिवारी

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: सेवानिवृत

विक्रेता: 4

श्री प्रमोद कुमार तिवारी, पुत्र श्री स्व० केदारनाथ तिवारी

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: सेवानिवृत

विक्रेता: 5

श्री अनूप कुमार तिवारी, पुत्र श्री स्व० केदारनाथ तिवारी

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 6

श्री विनय कुमार तिवारी, पुत्र श्री स्व० केदारनाथ तिवारी

निवासी: मिर्जापुर, बेतियाहाता, गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 7

श्री सुनील दत्त त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० अमरेश्वरी प्रसाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 86AD 420912

अनुपम कुमारी

सुधा राधा

गायत्री

निर्मला देवी

Makhanlal

साक्षी.......................................

(1) साक्षी Anju Pandey W/o. Prof. Vinay Kumar

Renu Niketan, Betia Hata,
G.K.P. (U.P.)

(2) Rajni Dwivedi W/o Pradeep Dwivedi
262 B. Shipra Suncity Indirapuram
Ghaziabad

(3) गिरीश यादव S/o राम सरूप यादव
ग्राम छितौना पोस्ट खरिहार (गोरखपुर)

(4) हरिशंकर त्रिपाठी S/o स्व० प्रभाकरदत्त त्रिपाठी
नि० विवेकपुरम तारामण्डल गोरखपुर

प्रारुपक व तैयारीकर्ता

अच्युतानन्द शुक्ल

एडवोकेट

दिनांक 14/03/2019

आवेदन सं०: 201900950009052

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15511 के पृष्ठ 311 से 396 तक क्रमांक 3290 पर दिनाँक 14/03/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के०के० तिवारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गोरखपुर
14/03/2019